

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल-efohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं-01334-205700

दिनांक मई 09, 2024।

शतापी / प्रबन्धक,  
मैसर्स कौशिक पब्लिक स्कूल,  
(श्रीनिवासर शोकगढरी स्कूल)  
खसरा नं०-1000अ, 804अ, 834,  
ग्राम-इमलीबेडा, तहसील-रूडकी,  
जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Pre-Operational के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन युक्त नम्बर-12465480, दिनांक 27.05.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्रामाण्य हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा पत्रालय का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रूडकी द्वारा किया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रूडकी की निरीक्षण आख्या दिनांक 07.08.2024 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा पत्रालय कायदा एक्सटिंग्यूइशर, होजरीस, टैरिस पम्प, टैरिस वाटर टैंक, इत्यादि का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल का कार्यालय भवन है। भवन में कुल (G+1) तल है। भवन/संस्थान को प्लान का क्षेत्रफल 12180 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 280.97 वर्ग मी० है भवन/संस्थान की ऊँचाई 09 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 09 मई 2024 से 08 मई 2027 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान में सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अर्थात् निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिनियम के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

8. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलेक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिन्डर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलेक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।
9. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मौक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
10. प्रत्येक 03 माह में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के मेन्टीनेंस की दिव्यति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।
11. संस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित सेट बैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.पी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

*Abhinav Tyagi*

(अभिनव त्यागी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरिद्वार

प्रतिलिपि: प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।